कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2
Mail ID-rwdeedbg2@gmail.com

पत्रांक 973. /
दिनांक 30/05/2024

प्रेषक,

ई0 अवधेश कुमार
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2

सेवा में,

**B.P Engineering Works,**
**B-10, Professor Colony,**
**Aghoriya Bazar, Muzaffarpur.**

विषयः– शीर्ष MMGSY (WB) योजना अन्तर्गत **Sahni Tola REO Road to Katraul Purbi Tola tak** तक पथ निर्माण कार्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य के पसंबंध में।

प्रसंगः– एकरारनामा संख्या–**08/SBD/19-20** दिनांक–15.10.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित पथ का एकरारनामा आपके द्वारा एकरारनामा संख्या–**08/SBD/19-20** दिनांक–15.10.2019 को विधिवत किया गया एवं पथ का मूल कार्य दिनांक–30.11.2022 को पूर्ण किया गया है। आप अच्छी तहर अवगत है कि पूर्ण किये गये पथ का पॉच वर्षीय अनुरक्षण कार्य कारना एकरारनामा का भाग है। अनुरक्षण कार्य करने हेतु बार–बार मौखिक रूप से एवं मोबाईल द्वारा भी निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु अद्यतन आपके द्वारा अनुरक्षण कार्य नही किया गया है, जो कि एकरारनामा की शर्तो के विरूद्ध आचरण है। ज्ञातव्य हो कि उक्त पथ का अनुरक्षण की जॉच सहायक अभियंता, जाले द्वारा भी BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण दिनांक–27.04.2024 को किया गया, जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। जिसकी सूचना BRRMS App के द्वारा आपके रजिस्ट्रड मोबाईल नं0 एवं रजिस्ट्रड ई–मेल आई0डी0 पर दिया गया है। फिर भी आपके द्वारा उक्त पथ में कोई सुधार नहीं किया गया है। तदुपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी दिनांक–27.05.2024 को BRRMS App से Rectification Module में अंकित होने के कारण निरीक्षण किया गया जिसमें SRI ग्रेडिंग प्रदान की गई। उक्त पथ में कोई भी Rectification का कार्य नहीं किया गया जिसके कारण त्रृटियॉ निम्न प्रकार से है :–

(1) पथ क पी0सी0सी0 पथांश में चैनेज–700मी0 से 900 मी0 तथा अन्य कई जगहों में रैवेलिंग होना एवं चैनेज–0.00मी0 से 760 मी0 तक पथ में BT Surface पथांश में पथ का किनारा टुट जाना।
(2) पथ के फ्लैंक में चैनेज–0.00मी0 से 1760मी0 तथा अन्य जगहों पर जंगल–झाड़ी की सफाई नही होना।
(3) पथ में 200m (हेक्टोमीटर पिलर) एवं किलोमीटर पिलर का समुचित संख्या में नहीं रहना एवं पेंट नहीं होना।
(4) रोड सैनेज समुचित संख्या में नहीं रहना।
(5) मेन बोर्ड/ अनुरक्षण पट्ट एवं लोगोबोर्ड पर पुनः पेंटिग कर सूचना अंकित करना।

अतः आपको शख्त निर्देश दिया जाता है कि उक्त पथ में वर्णित त्रुटियों को यथाशीघ्र 15 दिनों के अन्दर सुधार करते हुए अनुरक्षण कार्य गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगें, एवं अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करेंगें। अन्यथा SBD के Clause of Contract की कंडिका–3 अन्तर्गत उप कंडिका–(iv) के तहत एकरारनामा को विखंडित करते हुए कालीकृत करने हेतु उच्चाधिकारी को अनुशंसा कर दी जायेगी साथ ही आपके विरूद्ध और भी दंडात्मक कार्रवाई अलग से की जायेगी। जिसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार आप स्वंय होगें।

विश्वासभाजन

29/5/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2

ज्ञापांक 973. / दिनांक 30/05/2024

प्रतिलिपिः–अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा/ नोडल पदाधिकारी BRRMS ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

29/5/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, दरभंगा–2

29/5/24